FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के तहत)

1. **District** रायपुर **P.S. (थाना):** सिविल लाइन्स **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0582
Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 07/11/2024 21:40 बजे

2.

S.No. (क्र.	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	294
2	भा दं सं 1860	323
3	भा दं सं 1860	34
4	भा दं सं 1860	427
5	भा दं सं 1860	448
6	भा दं सं 1860	451

3. **(a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):**
1. **Day (दिन):** बुधवार
Date From (दिनांक से): 31/05/2023 **Date To (दिनांक तक):** 31/05/2023
Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 14:00 बजे
Time To (समय तक): 14:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 07/11/2024 **Time (समय):** 21:40 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्ट सं.):** 005
Date & Time (दिनांक और समय): 07/11/2024 21:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व 01 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): कटेला भवन सिविल लाईन, रायपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) Name (नाम): प्रशांत कटेला कि ओर से सउनि नागेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन रायपुर
(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 बसंत लाल कटेला
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि**):**

Place of Issue (जारी करने का स्थान**):**

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	आवासीय वर्तमान पता	, क****, स****, र****, र****, छत्तीसगढ़, भारत
2	आवासीय स्थायी पता	, क****, स****, र****, र****, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-**********

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मुकेश भंसाली		पिता : स्व0 पारसमल भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
2	जयंती भंसाली		पिता : स्व0 पारसमल भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
3	राजेन्द्र भंसाली		पिता : स्व0 पारसमल भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
4	संजय भंसाली		पिता : स्व0 पारसमल भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
5	गौरव भंसाली		पिता : राजेन्द्र भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
6	सिद्धार्थ भंसाली		पिता : राजेन्द्र भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
7	अंकित भंसाली		पिता : मुकेश भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
8	सौरभ भंसाली		पिता : जयंती भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
9	छोटू भंसाली		पिता : जयंती भंसाली	ल**** ग**** र**** र**** छत्तीसगढ़ भारत

8. **Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No.	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):** 0

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12 **First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना सिविल लाईन रायपुर में सउनि के पद पर कार्यरत हूं । कि माननीय न्यायालय (भारती कुलदीप) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (रायपुर छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक क/क्यू /कोर्ट /24 रायपुर दिनांक के ज्ञापन व परिवादी के परिवाद पत्र अवलोकन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 294,323,427,448,451 ,34 भादवि का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । माननीय न्यायालय के ज्ञापन व परिवादी के परिवाद पत्र नकल जैल है । न्यायालय भारती कुलदीप ,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छ.ग. ज्ञापन क्रमांक क/क्यू/कोर्ट/24 रायपुर दिनांक प्रति, थाना प्रभारी सिविल लाईन रायपुर जिला रायपुर छ.ग. विषय: - आवेदक प्रशांत कटेला द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. के संबंध में विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत। इस न्यायालय द्वारा आवेदक प्रशांत कटेला द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र. सं को स्वीकार किया गया है । अत: एम. जे.सी. में उल्लेखित प्रस्तावित आरोपी 11 मुकेश भंसाली पिता स्व पारसमल भंसाली उर्म 55 वर्ष 2. जयंती भंसाली पिता स्व पारसमल भंसाली उम्र 60 वर्ष 3. राजेन्द्र भंसाली पिता स्व पारसमल भंसाली उम्र 57 वर्ष 4. संजय भंसाली पिता स्व पारसमल भंसाली उम्र 55 वर्ष 5. गोरव भंसाली पिता श्री राजेन्द्र भंसाली उम्र 37 वर्ष 6.सिद्धार्थ भंसाली पिता श्री राजेन्द्र भंसाली उम्र 32 वर्ष 7. अंकित भंसाली पिता श्री मुकेश भंसाली उम्र 25 वर्ष 8. सौरभ भंसाली पिता श्री जयंती भंसाली उम्र 32 वर्ष 9. छोटू भंसाली पिता श्री जयंती भंसाली उम्र 32 वर्ष सभी निवासी लालगंगा पटवा स्थानक भवन के बाजू गोकूल गार्डन के पास ,टैगोर नगर रायपुर छ.ग. के विरूद्ध विवेचना कर दिनांक 27.02.2024 तक अंतिम प्रतिवेदन पेश करें । (भारती कुलदीप) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (रायपुर छ.ग.) सक्षम न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , रायपुर छ.ग. 1. प्रशांत कटेला उम्र 48 वर्ष लगभग आत्मज स्व बसंत लाल कटेला निवासी सिविल लाईन ,कटेला भवन रायपुर छ.ग. 2. प्रवीण कटेला उम्र 50 वर्ष लगभग आत्मज स्व बसंत लाल कटेला निवासी सिविल लाईन कटेला भवन रायपुर छ.ग. -आवेदकगण विरूद्ध 1. भंसाली उम्र 55 वर्ष लगभग पिता स्व पारसमल भंसाली 2. जयंती भंसाली उम्र 60 वर्ष लगभग पिता स्व पारसमल भंसाली 3. राजेन्द्र भंसाली उम्र 60 वर्ष लगभग पिता स्व पारसमल भंसाली 4. संजय भंसाली उम्र 55 वर्ष लगभग पिता स्व पारसमल भंसाली 5. गोरव भंसाली उम्र 37 वर्ष लगभग पिता श्री राजेन्द्र भंसाली 6.सिद्धार्थ भंसाली उम्र 32 वर्ष लगभग पिता श्री राजेन्द्र भंसाली 7. अंकित भंसाली उम्र 25 वर्ष लगभग पिता श्री मुकेश भंसाली 8. सौरभ भंसाली उम्र 32 वर्ष लगभग पिता श्री जयंती भंसाली 9. छोटू भंसाली उम्र 32 वर्ष लगभग पिता श्री जयंती भंसाली साकिनान लालगंगा पटवा स्थानक भवन के बाजू गोकूल गार्डन के पास , टैगोर नगर थाना सिटी कोतवाली रायपुर छ.ग. अभियुक्तगण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता आवदेकगण सविनय निम्नानुसार निवेदन करते है यह कि आवेदकगण एवं अभियुक्त गण के पते एवं विवरण आवेदक पत्र के मुख पद पर दर्शायेनुार है । 2 . यह किआवेदकगण थाना सिविल लाईन रायपुर छ.ग. अंतर्गत स्थिरत मकान नं 3/862 में परिवार सहित वर्ष 1974 से शांति पूर्वक् निरंतर एवं लगातार दाखिल काबिज चले आ रहे है उपरोक्त मकान सिविल लाईन रायपुर छ.ग. नजूल प्लाट क्रमांक 6/2,7/2,6/4 एवं 7/4 में कुछ क्षेत्रफल 24186 वर्गफुट में बाउण्ड्रीवाल के अंदर स्थित है । आवेदकगण के उपरोक्त मकान भूमि के एक भाग के संबंध में कमला देवी जैन व शुभाशीष जैन,नीता देवी भंसाली तथा ममता देवी भंसाली के विरूद्ध वाद विवाद रायपुर छ.ग. के न्यायालय मे चल रहा है । 3. यह कि उपरोक्त व्यहार वाद क्रमांक 42 ए/07 में निर्णय दिनांक 09.10.2018 पारित व्दितीय व्यवहार न्याधीश वर्ग एक रायपुर पीठासीन अधिकारी सुमित कपूर द्वारा मकान की चार दीवारी के अंदर एक भाग रकबा 6307 वर्गफुट पर आवेदकगण की माता का कब्जा प्रमाणित माना है साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित क थी जिसकी अपील क्रमांक 98 ए /2019 में न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रायपुर छ.ग. द्वारा निर्णय दिनांक 12.05.2023 को उद्घोषित करते हुए व्यवहार क्रमांक 42 ए/2007 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 09.10.2018 को आंशिक रूप से आपास्त किया जाकर तथा अपील अंशत: स्वीकृत करते हुए श्रीमती कमला देवी जैन व शुभाशीष जैन के विरूद्ध जारी स्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया गया है यहा यह स्पष्ट किया जाना अति आवश्यक है कि माननीय अपर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कही भी यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हो गये है । प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रायपुर छ.ग. द्वारा निर्णय दिनांक 01.06.2023 में भी संदर्भ में आदेश है की कब्जा प्रदान करने के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया

है तथा उक्त वाद स्थल के विषय माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रायपुर श्री मृत्यूजय सिंह द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 246 अ/92 के द्वारा भी यथा स्थिति का भी आदेश दिनांक को 09.02.1993 पारित किया गया था जो आज दिनांक तक प्रभावी है 4. यह कि अपील में हुए आदेश दिनाक 12.05.2023 का अशुद्ध अर्थ निकाल कर बलपूर्वक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने व जान से मारने के आशय से घोर अपराध करने की बदनियत मानसिकता से दिनांक 21.05.2023 को अभियक्तगण तथा उनके साथ लगभग 50 से 60 लोग ट्रको तथा छोटी गाडियों मे भरकर अपने साथ लाठी ,सब्बल एवं घातक हथियार रखे हुए तथा कुछ व्यक्तिअयों ने अपनी पहचान छुपाने के लिये अपने मुह पर कपडा बांधे हुए थे वे सभी आवेदकगण के घर में कम्पाउंड के मेन गेट को बालात खोलकर घर के अंदर घुस आये तथा घर में कंपाउंड के मेन गेट को बालात खोलकर घर के अंदर घुस आये तथा घर में प्रवेश कर आवेदकगण के कंपाउंड में स्थित पेड तथा दीवाल में लगे फ्लोर सर्किट कैमरा को तोडफोड कर उसकी वायरिंग को काटने के पश्चात आवेदकगण एवं उनके घर के अन्य सदस्य जिसमें महिलायें एवं बच्चे भी थे साथ मारपीट तथा गंदी गंदी भद्दी गालियां देते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए धमकी दी की आवेदकगण अपने परिवार सहित तत्काल जगह छोडकर चले जाये नहीं तो आवेदकगण एवं उसके परिवार वालों को जान से मार दिया जायेगा । 5. यह कि अभियुक्तगण एक राय होकर आवेदकगण की संपत्ति पर अवैध बालात कब्जा करने व जान से मारने के इरादे से 50-60 लोगो को साथ लेकर तकरीबन 1.40 बजे दोपहर दिनांक 30.05.2023 को घुसने के पश्चात लगभग एक घंटे तक राड , सब्बल व हथियार लहराकर आवेदकगण उनकी माता,पत्नि यां एवं बच्चो को डाराया धमकाया गया ,गला दबाकर जाने से मारने की कोशिश की गई , मां बहन की गंदी गंदी व भद्दी गाली जैसे मादचोद , बहन चोद गाली दी गई एवं अगवा कर जान से मारने की धमकी देकर मकान के हिस्से को खाली करने हेतु दबाव बनाया गया। अभियुक्तगण एवं उनके साथ आये लोगों के चीख चिल्लाने एवं गाली गलौच व गला दबाकर जान से मारने के प्रयास को आस पड़ोस में रहने वाले रहवासियों द्वारा भी सुना व देखा गया है। गाली गलौज, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने वाले, मारपीट करने वाले बलात घुसकर कब्जा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति आरोपीगण ही है जिन्हें हम लोगो ने पहचाना है और उन्हे पूर्व से जानते है। 6.यह कि, अभियुक्तगण द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अपराधिक कृत्यों के दौरान उपरोक्त घटना के संबंध में आवेदक कमांक 2 प्रवीण कटेला द्वारा थाना सिविल लाईन में तत्काल जाकर टी.आई. थाना सिविल लाईन को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस मौके पर आकर दोनो पक्षों को अपने साथ थाना ले आये किन्तु आवेदक क्रमांक 2 द्वारा शिकायत को नहीं लिया जा रहा था तत्पश्चात एक पृष्ठ पर कम शब्दों में लिखकर देने के लिये कहा गया परन्तु उनके विरूद्ध किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि आरोपीगण पहुँच वाले व्यक्ति हैं जिसके कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त के पश्चात आवेदक क्रमांक 1 के द्वारा दिनांक 01.06.2023 को पुलिस अधीक्षक रायपुर (छ.ग.) के समक्ष भी उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं की गई। 7. यह कि, उक्त समस्त घटना के संबंध में मकान में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं उक्त घटना के समय मकान में मौजूद आवेदकगण एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने मोबाईल फोन पर अभियुक्तगण एवं उनके साथ आये गुण्डा तत्वों के बालात प्रवेश गाली गलौच, जान से मारने का प्रयास एवं धमकी दिये जाने का विडियो तथा अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना में उपयोग किये गये वाहन ट्रक जिसका पंजीयन कमांक CG04-NU-0256, वाहन टाटा पंजीयन कमांक CG04-HX-9578 एवं वाहन टाटा जिसका पंजीयन कमांक CG04-MQ-8924 का भी विडियो की सी.डी. आवेदकगण द्वारा थाना प्रभारी थाना सिविल लाईन एवं पुलिस अधिक्षक रायपुर (छ.ग.) के समक्ष शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित उपरोक्त अपराधिक घटना समाचार पत्र एवं न्यूज विडियो में भी प्रकाशित हुआ है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आवेदकगण आवेदन के साथ प्रस्तुत करते हैं। 8. यह कि, आवेदकगण तथा उनके परिवार वाले अभियुक्तगण तथा उनके साथ आये अपराधिक व्यक्तियों के द्वारा की गई गारपीट, जान से मारने का प्रयास, गाली गलीच तथा धमकी से शारीरिक एवं मानसिक आहात एवं अत्यंत भयभीत हैं जिससे उनकी जान एवं संपत्ति को खतरा बना हुआ है। 9. यह कि, आवेदकगण की उक्त शिकायत के संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाईन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी उचित कार्यवाही ना कर मात्र आवेदकगण एवं उनके परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज करने की खानापूर्ति कर आज दिनांक तक उक्त के

संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे आहात होकर आवेदकगण को यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने अतिरिक्त कोई अन्य उपचार नहीं है। 10.यह कि, अभियुक्तगण एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पुलिस कार्यवाही में बाधा डालकर उनके द्वारा किये गये अपराध को पंजीबद्ध होने एवं अन्वेषण में हस्ताक्षेप कर रहा है एवं अपराध पंजीबद्ध होने से रोक दिया गया है। 11.यह कि, अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त अपराध सिविल लाईन्स थाना के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित होने से अपराध का संज्ञान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर है। 12. यह कि, आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ सूचीअनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करते है।13. यह कि, आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य सूची प्रस्तुत करते है।14. यह कि, आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते है। प्रार्थना अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 506 बी, 307, 323, 427, 448, 452, 453, 454, 120बी, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत संबंधित थाना सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) संज्ञान लेकर अपराध दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। स्थान रायपुर (छ.ग.) दिनांक 12JUN 2023 दो हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट आवेदकगण अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

13 **Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (**की गयी कार्यवाही**:** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं**. 2** में उल्लेख धारा के तहत है **|)**

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया**):**

Nagendra Singh (Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)) / **or (**या**)**

(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम**):**

Rank (पद**):** **No. (**सं.**):**

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया**)**

or (या**)**

(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए**):**

or (के कारण इंकार किया या**)**

(4) Tranferred to P.S.(थाना**):**

District (जिला**):**

on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित**).**

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी**,** सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी**|)**

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.**)**

14 **Signature/Thumb Impression of the complainant /**
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**):**

15 **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय**):**

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station:
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर**)**

Name (नाम**):** Nagendra Singh

Rank (पद**):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.**):**

Attachment to item 7 of First Information Report(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद **7** संलग्नक**):**

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known /

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No. (क्र. स.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1969 / 55				
2	पुरुष	1964 / 60				
3	पुरुष	1967 / 57				
4	पुरुष	1969 / 55				
5	पुरुष	1987 / 37				
6	पुरुष	1992 / 32				
7	पुरुष	1999 / 25				
8	पुरुष	1992 / 32				
9	पुरुष	1992 / 32				

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दांत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)						Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19		20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है **|)**

Disclaimer- This is a system generated copy of original F.I.R.